उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्याः16/2023/550/तीस-4-2023-99/98
लखनऊः दिनांकः 09 मई, 2023

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 9 के प्राविधानों के अनुसरण में राज्यपाल मेसर्स सेफ रोड स्किल एंड टेक्नोलॉजी, एलएलपी, 19/46, सोनातालाब, पंचकोशी रोड, वाराणसी को मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल ढोने वाले वाहन चलाने वाले व्यक्तियों को, उक्त नियम के अधीन प्रशिक्षण देने के लिए इस शर्त के अध्यधीन मान्यता प्रदान करते हैं कि उक्त संस्थान ऐसा प्रशिक्षण देने के लिए सम्बन्धित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) से शासनादेश संख्या-14/2023/603/XXX-4-2023-99/98, दिनांक 27 अप्रैल, 2023 में निर्धारित प्रारूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा।

आज्ञा से,

एल0वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-16/2023/550(1)/तीस-4-2023-99/98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 09.05.2023 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या-16/2023/550(2)/तीस-4-2023-99/98, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सम्बन्धित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4. सम्बन्धित संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5. अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यू नल़उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
7. मेसर्स सेफ रोड स्किल एंड टेक्नोलॉजी, एलएलपी, 19/46, सोनातालाब, पंचकोशी रोड, वाराणसी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 16/2023/550/XXX-4-2023-99/98, dated May 09 , 2023

Notification

No.16/2023/550/XXX-4-2023-99/98
Lucknow: Dated May 09 , 2023

In pursuance of the provisions of rule 9 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Governor is pleased to recognise M/s Safe Road Skill and Technology LLP 19/46 Sonatalab, Panchkoshi Road, Varanasi for imparting the training under the said rule, to a person driving a goods carriage carrying goods of dangerous or hazardous nature to human life subject to the condition that the said institute shall obtain a licence in form as prescribed in government order no. 14/2023/603/XXX-4-2023-99/98, dated April 27, 2023 from the concerned Deputy Transport Commissioner (Zone).

By order,

L.Venkateshwar Lu
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।